

उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद्

भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व यू0जी0सी0 व 'रुसा' की संस्तुतियों के अनुक्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कार्यालय ज्ञाप संख्या 768/xxiv(7)/29(1)/2013 दिनांक 28 फरवरी 2014 द्वारा राज्य उच्च शिक्षा परिषद् का गठन निम्नवत् किया गया है :-

1	डॉ0 धन सिंह रावत	माननीय उच्च शिक्षा मंत्री	सभापति (पदेन)
2	श्री एस0 रामास्वामी	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	उपसभापति (पदेन)
3	डॉ0 रणबीर सिंह	अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं परियोजना निदेशक, रुसा, उत्तराखण्ड	सदस्य (पदेन)
4	प्रो0 गिरिजेश पंत	प्रोफेसर स्कूल ऑफ इण्टरनेशनल स्टडीज, जे0एन0यू0 नई दिल्ली	सदस्य (नामित)
5	डॉ0 हरीश चन्द्र पोखरियाल	कार्यकारी निदेशक, मुक्त अध्ययन स्कूल दिल्ली विश्वविद्यालय, नई दिल्ली	सदस्य (नामित)
6	प्रो0 सुरेन्द्र पी0 सिंह	चैयर ऑफ एक्सीलेंस इन बायोडायवर्सिटी, एफ0आर0आई0 देहरादून	सदस्य (नामित)
7	प्रो0 एम0एस0एम0 रावत	डीन स्कूल ऑफ साइंस (सेवानिवृत्त) हे0न0ब0गढ़वाल केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर	सदस्य (नामित)
8	डॉ0 एस0एन0एच0 रिजवी	मानव विज्ञानी, अध्यक्ष भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण नई दिल्ली	सदस्य (नामित)
9	डॉ0 जी0पी0 जुयाल	विभागाध्यक्ष, हाइड्रोलॉजी व इंजीनियरिंग मण्डल सी0एस0 डब्यु0सी0आर0वि0आई0 देहरादून	सदस्य (नामित)
10	प्रो0 उमा तिवारी पालनी	पूर्व अध्यक्ष-वनस्पति विज्ञान विभाग कुमाऊँ विश्वविद्यालय नैनीताल	सदस्य (नामित)
11	डॉ0 बी0के0 गैरोला	सदस्य सचिव-राष्ट्रीय नवप्रवर्तन परिषद् योजना आयोग, नई दिल्ली	सदस्य (नामित)
12	प्रो0 शिवराज सिंह	कृषि अभियांत्रिकी विभाग, बनारस हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी	सदस्य (नामित)
13	डॉ0 विनय पाठक	कुलपति, ए0पी0जे0 अब्दुन कलाम उ0प्र0 तकनीकी विश्वविद्यालय लखनऊ	सदस्य (नामित)
14	सुश्री विभा मल्होत्रा	निदेशक, कन्फेडरेशन ऑफ इण्डस्ट्री उत्तराखण्ड स्टेट, देहरादून	सदस्य (नामित)
15	भारत सरकार प्रतिनिधि	मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा नामित किया जायेगा	सदस्य (पदेन)
16	प्रो0 वी0के0 जैन	कुलपति, दून विश्वविद्यालय देहरादून	सदस्य (नामित)
17	प्रो0 एच0एस0 धामी	कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय देहरादून	सदस्य (नामित)
18	डॉ0 बी0सी0 मेलकानी	निदेशक, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड हल्द्वानी	सदस्य-सचिव (पदेन)

19	डॉ० देवेन्द्र भसीन	प्राचार्य, डी०ए०वी० (पी०जी०) कालेज, देहरादून	सदस्य (नामित)
20	डॉ० प्रमोद कुमार पाठक	प्राचार्य, रा० महावि० बेटालघाट, नैनीताल	सदस्य (नामित)
21	प्रो० प्रदीप्त बैनर्जी	निदेशक, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रुड़की	सदस्य (नामित)
22	प्रो० मंगला राय	कुलपति, जी०बी० पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर	सदस्य (नामित)
23	प्रो० गौतम सिन्हा	निदेशक, भारतीय प्रबन्ध संस्थान काशीपुर (उधमसिंह नगर)	सदस्य (नामित)
24	प्रो० दुर्गेश पंत	परिसर निदेशक, उत्तराखण्ड मुक्त वि०वि०, देहरादून।	सदस्य (नामित)

कार्यकारी समिति(Executory Committee)

परिषद् के कार्यों का प्रबन्धन,विहित नियामनुसार गठित एक कार्यकारी समिति द्वारा परिषद् के नियम, विनियम व आदेश के अधीन किया जायेगा जिसका गठन शासनादेश संख्या 2689(1)/XXIV(7)/2014-38(2)13/T.C.III दिनांक 25 सितम्बर, 2014 के अनुरूप निम्नानुसार किया गया है :-

1	श्री एस० रामास्वामी (IAS)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	अध्यक्ष (पदेन)
2	डॉ० रणबीर सिंह (IAS)	अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य (पदेन)
3	श्री ओम प्रकाश (IAS)	प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा	सदस्य (पदेन)
4	श्री अमित नेगी (IAS)	सचिव, वित्त	सदस्य (पदेन)
5	प्रो० वी०के० जैन	कुलपति, दून विश्वविद्यालय	सदस्य (नामित)
6	प्रो० मंगला राय	कुलपति, गो०ब०प०कृ०प्रौ० विश्वविद्यालय, पंतनगर	सदस्य (नामित)
7	डॉ० राघव लंगर (IAS)	अपर सचिव, उच्च शिक्षा	सदस्य सचिव (पदेन)
8	डा० बी०सी० मेलकानी	निदेशक उच्च शिक्षा	सदस्य (पदेन)

रुसा परियोजना निदेशालय

'रुसा' परियोजना का एक राज्य परियोजना निदेशालय, देहरादून में अवस्थित है। शासनादेश सं० 3467/xxiv(7)/2015-29(1)/13 दिनांक 20 मार्च 2015 द्वारा परियोजना निदेशालय हेतु 16 पदों का संगठनात्मक ढांचा स्वीकृत हुआ है।

तकनीकी समर्थन समूह : उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या 360/XXIV(7)/15-38(2)13 देहरादून दिनांक 04 जून, 2015 द्वारा तकनीकी समर्थन समूह का भी निम्नवत् गठन किया गया है।

1. निदेशक उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी – अध्यक्ष

2.	नोडल अधिकारी रूसा, दून विश्वविद्यालय, देहरादून	—	सदस्य
3.	नोडल अधिकारी रूसा, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	—	सदस्य
4.	राज्य नोडल अधिकारी, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण	—	सदस्य
5.	अधीक्षण अभियन्ता(सिविल) 9वाँ वृत्त लोक निर्माण विभाग, देहरादून	—	सदस्य
6.	अनु सचिव, वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन	—	सदस्य
7.	वरिष्ठतम प्राचार्य रा0स्ना0 महाविद्यालय, उत्तराखण्ड	—	सदस्य
8.	वित्त नियन्त्रक, रूसा परियोजना निदेशालय, देहरादून	—	सदस्य
9.	परियोजना निदेशक रूसा परियोजना द्वारा नामित अधिकारी	—	सदस्य
10.	संयुक्त निदेशक/राज्य नोडल अधिकारी, रूसा परियोजना निदेशालय, देहरादून	—	सदस्य-सचिव

मैनुअल संख्या -02 :अधिकारियों व कर्मचारियों की शक्तियां व कर्तव्य

(1) परियोजना निदेशक के कृत्य एवं शक्तियां

परियोजना निदेशक, उच्च शिक्षा परिषद का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होगा और परिषद के कार्यों एवं निधियों के उचित प्रबन्धन हेतु उत्तरदायी होगा तथा परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों को कार्यकारी समिति अध्यक्ष के निर्देशन एवं मार्गदर्शन के अधीन अभियान मोड में कार्यान्वयन हेतु दायी होगा। अपने कृत्यों के निर्वहन हेतु उसकी शक्तियां निम्नवत् होंगी :-

- (क) परिषद के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कार्यदल या समिति का गठन करना।
- (ख) परियोजना निदेशालय के अधिकारियों एवं कार्मिकों के कार्यों का निर्धारण करना।
- (ग) यथावश्यक पर्यवेक्षण एवं अनुशासनिक नियन्त्रण प्रयोग करना।
- (घ) परियोजना निदेशालय के क्रिया-कलापों का सामान्य पर्यवेक्षण एवं समन्वय करना।
- (ङ) परिषद/कार्यकारी समिति के सदस्य सचिव को परिषद व कार्यकारिणी समिति की बैठक आयोजित करने एवं इन बैठकों की कार्यवाही का लेखा तैयार करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करना।
- (च) परिषद के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु परिषद/कार्यकारिणी समिति द्वारा उसे निर्दिष्ट कृत्यों का निर्वाह करना।

(2) अपर परियोजना निदेशक के कृत्य एवं शक्तियां

परियोजना निदेशक की ओर से अपर परियोजना निदेशक, परियोजना के क्रिया-कलापों के दक्ष एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एवं भारत सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों के समुचित उपयोग हेतु उत्तरदायी होगा। अपर परियोजना निदेशक के निम्नलिखित कृत्य/शक्तियां होंगी :-

- (क) अपर परियोजना निदेशक, परियोजना की विभिन्न क्रिया-कलापों का अभियान (मिशन) मोड में परियोजना निदेशक के दिशा निर्देशन में, कार्यान्वित करेगा ।
- (ख) परियोजना कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति के अनुश्रवण हेतु नियमित बैठकें आयोजित करना ।
- (ग) भारत सरकार, उत्तराखण्ड सरकार व अन्य राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय नियामक संस्थाओं से उच्च शिक्षा के मामलों में समन्वय स्थापित करना ।
- (घ) अपर परियोजना निदेशक, वार्षिक कार्य योजना एवं बजट निर्माण एवं उसे अंतिम रूप देने हेतु उत्तरदायी होगा ।
- (ङ) परियोजना निदेशालय पर प्रशासनिक एवं पर्यवेक्षीय नियन्त्रण शक्ति का प्रयोग करना ।
- (च) परिषद के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु ऐसे कृत्यों का निर्वहन करना जो उसे परिषद/कार्यकारी समिति द्वारा निर्दिष्ट किये जायें ।

(3) नोडल अधिकारी (परियोजना राज्य समन्वयक) के कृत्य एवं दायित्व

परिषद के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राज्य परियोजना निदेशक/अपर परियोजना निदेशक के दिशा-निर्देशन में उन सभी कार्यों/दायित्वों का निर्वहण करना जो उसे निर्दिष्ट किये जायें ।

(4) प्रशासनिक पटल के कार्य एवं दायित्व

प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अनुभाग का प्रभारी होगा एवं परियोजना के कुशल प्रशासन हेतु समस्त कार्यालयीन कार्य दायित्वों हेतु उत्तरदायी होगा एवं परियोजना निदेशक एवं परियोजना कार्यालय के अन्य अधिकारियों के दिशा-निर्देशन में निर्दिष्ट कार्यों का सम्पादन करेगा ।

(5) वित्तीय पटल से सम्बन्धित अधिकारी व उनके कार्य दायित्व

परियोजना कार्यालय का वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक वित्तीय पटल का प्रमुख होगा व परियोजना के वार्षिक बजट निर्माण, वार्षिक योजना बनाने, परियोजना की निधियों के नियमानुसार संरक्षण व उपयोग के साथ-साथ आहरण वितरण अधिकारी के समस्त कार्य दायित्वों के निर्वहन हेतु उत्तरदायी होगा ।

मैनुअल संख्या -03 : विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं :-

(1) परियोजना निदेशालय की निर्णय लेने की प्रक्रिया

‘रुसा’ परियोजना में ‘भिन्न-भिन्न स्तरों पर निर्णय होने की व्यवस्था निम्नवत् है :-

- (i) निदेशालय में कार्यरत अराजपत्रित कार्मिकों के सेवा प्रकरणों पर अपर परियोजना निदेशक द्वारा ।

(ii) निदेशालय में कार्यरत राजपत्रित अधिकारियों के सेवा सम्बन्धी प्रकरणों पर राज्य परियोजना निदेशक द्वारा।

(2) किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया

सामान्य प्रकरणों को छोड़कर अन्य सभी विशेष विषयों पर कार्यकारी समिति व राज्य उच्च शिक्षा परिषद द्वारा यथाविहित प्रक्रियानुसार निर्णय लिये जाते हैं।

(3) लिये गये निर्णय को जनता तक पहुँचाने की प्रक्रिया

समाचार पत्रों/कार्यालय सूचना पटल पर प्रसारण द्वारा।

(4) विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिए प्राप्त की जाती है

(i) परियोजना से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों पर उनके महत्व को दृष्टिगत रखते हुए राज्य उच्च शिक्षा परिषद, कार्यकारी समिति, परियोजना निदेशक तथा अपर परियोजना निदेशक द्वारा निर्णय लिया जाता है।

(ii) वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी :-

राष्ट्रीय परियोजना निदेशालय की वित्तीय स्वीकृति व संस्था की डी0पी0आर0 के आधार पर शासन की संस्तुति के अनुसार निर्णय लिया जाता है।

(5) चयन/भर्ती मामलों में

उत्तराखण्ड शासन के संगत शासनादेशों एवं शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय लिये जाते हैं।

(6) विभिन्न सामग्रियों के क्रय से सम्बन्धित मामलों में

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियामावली 2008 के प्रावधानों, सम्बन्धित शासनादेशों तथा शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्णय लिये जाते हैं।

(7) अंतिम निर्णय के लिए प्राधिकृत अधिकारी

कार्यालयाध्यक्ष के स्तर पर परियोजना निदेशक तथा उपरोक्त से भिन्न मामलों में कार्यकारी समिति व अन्तिम रूप से राज्य उच्च शिक्षा परिषद।

(8) मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है उसका विवरण

भारत सरकार द्वारा रूस परियोजनान्तर्गत, राज्य विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को स्वीकृत परियोजनाओं को स्वीकृत अनुदान जारी करना व स्वीकृत योजनाओं का अनुश्रवण करना तथा राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में पहुँच, समता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु व सुधार हेतु वांछित कार्यवाही करना।

(9) विषय (जिसके सम्बन्ध में निर्णय लिया जाता है) दिशा-निर्देश

भारत सरकार की रूस परियोजनान्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों, निर्धारित नियमों एवं राज्य सरकार की सुसंगत नियमावलियों, वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं, शासनादेशों तथा विभागीय सेवा नियमावलियों में उल्लिखित निर्देशों के अन्तर्गत।

(10) निर्णय लेने की प्रक्रिया

कार्यकारी समिति व राज्य उच्च शिक्षा परिषद की बैठक के माध्यम से

निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल अधिकारी का पदनाम –

मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन

अपर सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन

निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों की सम्पर्क सूचना –

रूस परियोजना निदेशालय, उत्तराखण्ड

21/20, ई0सी0 रोड, देहरादून

पिन कोड 248001।

मैनुअल संख्या -04 : 'रूस' परियोजना निदेशालय के कार्य संचालन/कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में स्वयं द्वारा स्थापित मानक

उत्तराखण्ड में रूस परियोजना के अन्तर्गत किये जा रहे महत्वपूर्ण क्रियाकलाप

- (i) उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया गया है।
- (ii) 'रूस' परियोजना निदेशालय की स्थापना देहरादून में की गई है।
- (iii) 'रूस' परियोजना हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य बजट में रु0 107 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- (iv) रूस परियोजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 'रूस' की तैयारी तथा विभिन्न घटकों के अन्तर्गत क्रमशः रु0 3.63 करोड़ तथा रु0 13.10 करोड़ का केन्द्रांश अवमुक्त किया गया है।

- (v) भारत सरकार द्वारा अवमुक्त केन्द्रांश के समकक्ष घटक संख्या (3), (4), (5), (7) व (11) के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को क्रमशः रु0 3.73 करोड़, रु0 1.18 करोड़, रु0 1.85 करोड़, रु0 7.41 करोड़ व रु0 0.28 करोड़ सहित कुल 14.45 करोड़ रु0 का अनुदान अवमुक्त किया गया है।
- (vi) उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की दिनांक 28 मई, 2014 तथा दिनांक 23 दिसम्बर, 2015 को बैठकें आयोजित की गईं।
- (vii) 'रुसा' की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 04 मार्च, 2014 तथा दिनांक 19 दिसम्बर, 2015 को बैठकें आयोजित की गईं।
- (viii) भारत सरकार द्वारा 'रुसा' के अन्तर्गत निम्नलिखित शिक्षण संस्थाओं को आच्छादित किया गया है :-

क्रम सं०	महाविद्यालय / विश्वविद्यालय
(अ)	महाविद्यालयों को संरचनात्मक अनुदान
	नैनीताल
1	रा0 महावि०, दोषापानी, चौखुटा
2	रा0 महावि०, कोटाबाग
	बागेश्वर
3	रा0 महावि०, कपकोट
4	रा0 महावि०, काण्डा
5	रा0 महावि०, गरुड़
	अल्मोड़ा
6	रा0 महावि०, चौखुटिया
7	रा0 महावि०, सोमेश्वर
8	रा0 महावि०, गरुड़ाबांज
9	रा0 महावि०, भिक्यासैण
	पिथौरागढ़
10	रा0 महावि०, बलूवाकोट, धारचूला
11	रा0 महावि०, गंगोलीहाट
12	रा0 महावि०, मुन्स्यारी
	चम्पावत
13	रा0 महावि०, टनकपुर
	उधमसिंह नगर
14	रा0 महावि०, बाजपुर
	पौड़ी
15	रा0 महावि०, नैनीडांडा
16	रा0 महावि०, सतपुली
17	रा0 महावि०, रिखणीखाल
18	रा0 महावि०, थलीसैण

19	रा० महावि०, मजरा महादेव
	चमोली
20	रा० विधि० महावि०, गोपेश्वर
21	रा० महावि०, नागनाथ पोखरी
	रुद्र प्रयाग
22	रा० महावि० रुद्रप्रयाग
23	रा० महावि० गुप्तकाशी
	उत्तरकाशी
24	रा० महावि०, पुरौला
25	रा० महावि०, चिन्यालीसौंड
	नई टिहरी
26	रा० महावि०, नरेन्द्रनगर
27	रा० महावि०, थत्यूड
28	रा० महावि०, नैनबाग
	देहरादून
29	रा० महावि०, चकराता
30	रा० महावि०, त्यूनी
(ब)	माडॅल कालेज की स्थापना
31	रा० महावि० देवीधुरा (चम्पावत)
(स)	माडॅल कालेज के रूप में उच्चीकरण
32	रा० महावि०, नारायणनगर
33	रा० स्नात० महावि०, उत्तरकाशी
34	रा० स्नातक० महावि० गोपेश्वर
35	रा० महावि०, मानिला
36	रा० स्नात० महाविद्यालय, रामनगर
(द)	विश्वविद्यालय को संरचनात्मक अनुदान
37	दून विश्वविद्यालय, देहरादून
38	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार
39	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल
(य)	फ़ैकल्टी सुधार
40	यू०जी०सी०, मानव संसाधन विकास केन्द्र, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल

मैनुअल संख्या-05 : निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये जाने वाले नियमों, विनियमों, अनुदेशों, अभिलेखों का विवरण

1. उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की नियमावली
2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2008
3. वित्तीय हस्तपुस्तिका।
4. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित 'रुसा' के दिशा-निर्देश।

5. बजट मैनुअल
6. अन्य सम्बन्धित शासनादेश अधिनियम व नियमावलियाँ

मैनुअलसंख्या-06 : दस्तावेज जो लोक प्राधिकारी द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन है, का प्रवर्ग के अनुसार वर्गीकरण

1. उपस्थिति पंजिका।
2. डाकप्राप्ति रजिस्टर।
3. आकस्मिक अवकाश पंजिका।
4. डाक प्रेषण रजिस्टर।
5. रुसा परियोजना से आच्छादित संस्थानों की डीपीआर व पत्रावलियाँ।
6. वेतन पंजिका।
7. स्टॉक पंजिका।
8. कैश बुक।

मैनुअल संख्या-7 : नीति निर्धारण व क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जनता या जनप्रतिनिधि से परामर्श के लिए बनायी गयी व्यवस्था विवरण

लागू नहीं है।

मैनुअल संख्या-8 : बोर्ड / परिषदों / समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

विभिन्न विषयों पर विचार करने हेतु निम्न समितियों का गठन किया गया है:-

क्र०सं०	परिषद् / समिति का नाम	सभापति / संयोजक / अध्यक्ष
1	उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद्	मा० उच्च शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड सरकार
2	कार्यकारिणी समिति (राज्य उच्च शिक्षा परिषद्)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
3	तकनीकी समर्थन समूह	निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड

उपर्युक्त के अतिरिक्त 'रुसा' परियोजना से आच्छादित महाविद्यालयों / विश्वविद्यालयों में भी संस्थागत स्तर पर परियोजना संचालन मण्डल एवं परियोजना अनुश्रवण इकाई का गठन किया गया है।

मैनुअल संख्या-9 : अधिकारियों व कर्मचारियों की निर्देशिका

क्र० सं०	नाम	पदनाम	दूरभाष संख्या
1.	डॉ० रणबीर सिंह (आई०ए०एस०) अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा	परियोजना निदेशक, 'रूसा'	0135-2712040 / 2658902
2.	डॉ० राघव लंगर (आई०ए०एस०) अपर सचिव, उच्च शिक्षा	अपर परियोजना निदेशक, 'रूसा'	0135-2651822 / 2658902
3.	डा० बी०सी० मेलकानी, निदेशक उच्च शिक्षा	उप परियोजना निदेशक, रूसा परियोजना	05946-240555 / 0135-2658902
4.	डा० हर्षवन्ती बिष्ट, सहायक निदेशक, उच्च शिक्षा	नोडल अधिकारी 'रूसा' परियोजना	0135-2658902
5.	श्री सुनील कुमार रतूड़ी, वरिष्ठ वित्त अधिकारी	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	0135-2658902
6.	श्री उमेश चन्द्र डिमरी	प्रशासनिक अधिकारी	0135-2658902

मैनुअल संख्या-10 : अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा प्राप्त मासिक वेतन

क्र० सं०	नाम	पदनाम	रूसा परियोजना कार्यालय से आहरित सकल वेतन (मासिक)
1.	डॉ० रणबीर सिंह (आई०ए०एस०)	परियोजना निदेशक, रूसा	पदेन रुप से पदस्थ (शून्य)
2.	डॉ० राघव लंगर (आई०ए०एस०)	अपर परियोजना निदेशक, 'रूसा'	पदेन रुप से पदस्थ (शून्य)
3.	डा० बी०सी० मेलकानी	उप परियोजना निदेशक, रूसा परियोजना	पदेन रुप से पदस्थ (शून्य)
4.	डा० हर्षवन्ती बिष्ट	नोडल अधिकारी 'रूसा' परियोजना	सहायक निदेशक (उच्च शिक्षा)के पद पर कार्यरत है (शून्य)
5.	श्री सुनील कुमार रतूड़ी, वरिष्ठ वित्त अधिकारी	वित्त अधिकारी	'रूसा' में अतिरिक्त प्रभार के रुप में कार्यरत हैं। (शून्य)
6.	श्री उमेश चन्द्र डिमरी	प्रशासनिक अधिकारी	रु० 11,100 / = (नियत)
7.	श्री अरविन्द सिंह नेगी	कनिष्ठ सहायक	अतिरिक्त कार्यप्रभार के रुप में कार्यरत हैं। (शून्य)
8.	कु० स्वाती ढौडियाल	कम्प्यूटर आपरेटर	अतिरिक्त कार्यप्रभार के रुप में कार्यरत हैं। (शून्य)
9.	श्री प्रमोद पवांर	चतुर्थ श्रेणी कर्मी	अतिरिक्त कार्यप्रभार के रुप में कार्यरत हैं। (शून्य)

मैनुअल संख्या -11 : सभी योजनाओं / प्रस्तावित कार्यों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए प्रत्येक अभिकरण

को आबंटित बजट :-

(19 फरवरी 2016)

(धनराशि लाख रुपये में)

क्र. सं.	विश्वविद्यालय/महाविद्यालय का नाम	कार्यदायी संस्था	भारत सरकार द्वारा स्वीकृत कुल धनराशि	जारी अनुदान
(अ)	घटक संख्या 3 (विश्वविद्यालय को संरचनात्मक अनुदान)			
1	कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, हल्द्वानी	1331.00	125.00
2	दून विश्वविद्यालय, देहरादून	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, देहरादून	2000.00	125
3	उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय, हरिद्वार	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, हरिद्वार	1825.00	123.75
(ब)	घटक संख्या 4 (नये माडल कालेज (सामान्य))			
4	रा0 महावि0 देवीधुरा (चम्पावत)	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, हल्द्वानी	1029.00	117.57
(ब)	घटक संख्या 5 (वर्तमान कालेज का मॉडल कालेज के रूप में उच्चीकरण)			
5	रा0 महावि0, नारायणनगर (पिथौरागढ़)	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, पिथौरागढ़	322.00	36.97
6	रा0 स्नात0 महावि0, उत्तरकाशी	ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग, उत्तरकाशी	400.00	36.97
7	रा0 स्नात0 महावि0 गोपेश्वर (चमोली)	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, इंजी कालेज, पौड़ी	350.00	36.97
8	रा0 महावि0, मानिला (अल्मोड़ा)	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, हल्द्वानी	346.00	36.97
9	रा0 स्नात0 महाविद्यालय, रामनगर (नैनीताल)	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	218.00	36.97
(स)	घटक संख्या 7 (महाविद्यालयों को संरचनात्मक अनुदान)			
	नैनीताल			
10	रा0 महावि0, दोषापानी	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, हल्द्वानी	199.00	24.68
11	रा0 महावि0, कोटाबाग	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	200.00	24.68
	बागेश्वर			
12	रा0 महावि0 गरुड़	उ0प्र0रा0 निर्माण निगम, रुद्रपुर	200.00	24.68

13	रा0 महावि0, कपकोट	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	200.00	24.68
14	रा0 महावि0, काण्डा	उ0प्र0 राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, हल्द्वानी	200.00	24.68
	अल्मोड़ा			
15	रा0 महावि0 चौखुटिया	उ0प्र0रा0निर्माण निगम, अल्मोड़ा	200.00	24.93
16	रा0 महावि0, सोमेश्वर	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, परियोजना इकाई, हल्द्वानी	198.00	24.68
17	रा0 महावि0, गरुड़ाबांज	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, अल्मोड़ा	199.00	24.68
18	रा0 महावि0, भिक्यासैण	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	200.00	24.68
	पिथौरागढ़			
19	रा0 महावि0, गंगोलीहाट	उ0प्र0 राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, हल्द्वानी (नैनीताल)	199.00	24.68
20	रा0 महावि0, बलूवाकोट, धारचूला	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, पिथौरागढ़ इकाई	199.00	24.68
21	रा0 महावि0, मुन्स्यारी	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	199.00	24.68
	चम्पावत			
22	रा0 महावि0 टनकपुर	उ0प्र0रा0 निर्माण निगम, रुद्रपुर	200.00	24.93
	उधमसिंह नगर			
23	रा0 महावि0 बाजपुर	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	200.00	24.68
	चमोली			
24	रा0 महावि0, नागनाथ पोखरी	उ0प्र0 राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, देहरादून	199.00	24.68
25	रा0 विधि0 महावि0, गोपेश्वर	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, श्रीनगर	200.00	24.68
	उत्तरकाशी			
26	रा0 महावि0, चिन्यालीसौंड	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, नई टिहरी	200.00	24.68
27	रा0 महावि0, पुरौला	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लि0	199.00	24.68
	नई टिहरी			
28	रा0 महावि0, नरेन्द्रनगर	उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, नई टिहरी	199.00	24.68
29	रा0 महावि0, थत्यूड	उ0प्र0 राज्य कीय निर्माण निगम लि0, पौड़ी	199.00	24.68
30	रा0 महावि0 नैनबाग	उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम लि0, देहरादून	199.00	24.93
	देहरादून			
31	रा0 महावि0, चकराता	उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण नि0, विकासनगर	200.00	24.68
32	रा0 महावि0, त्यूनी	नवम् वृत्त लोक निर्माण विभाग, चकराता	200.00	25.00

	पौड़ी			
33	रा0 महावि0, रिखणीखाल	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपरेशन लि0	200.00	24.68
34	रा0 महावि0, नैनीडांडा	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, पौड़ी गढवाल	198.00	24.68
35	रा0 महावि0 सतपुली	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, पौड़ी गढवाल	198.00	24.68
36	रा0 महावि0, थलीसैण	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपरेशन लि0	200.00	24.68
37	रा0 महावि0 मजरा महादेव	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपरेशन लि0	200.00	24.68
	रुद्र प्रयाग			
38	रा0 महावि0, गुप्तकाशी	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, पौड़ी गढवाल	200.00	24.68
39	रा0 महावि0 रुद्रप्रयाग	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कारपरेशन लि0	200.00	24.68
(द)	घटक संख्या 11 (संकाय सुधार)			
40	यू0जी0सी0 मानव संसाधन विकास केन्द्र (कुमाऊँ विश्वविद्यालय) नैनीताल	—	249.00	28.02

मैनुअल संख्या – 12: सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की स्थिति जिसमें आबंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं :-

सूचना- शून्य

मैनुअल संख्या – 13: अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्ति की विशिष्टियां :-

सूचना- शून्य

मैनुअल संख्या – 14: इलैक्ट्रॉनिक रूप से सूचना के ब्यौरे जो संगठन द्वारा उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हैं :-

उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार की बैबसाइट (www.he.uk.gov.inके लिंक रुसा) पर लॉग आन करें।

मैनुअल संख्या – 15: सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां :-

सूचना के अनुरोधकर्ताओं की सुविधा के लिए सुविधा कक्ष की स्थापना एवं अनुरोध पत्रों के पंजीकरण एवं समयान्तर्गत निस्तारण की समुचित व्यवस्था 'रूसा' परियोजना निदेशालय में की गई है।

'रूसा' परियोजना निदेशालय के कार्य घण्टे :-

10:00 AM to 5:00 PM

मैनुअल संख्या – 16: लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां :-

1. विभागीय अपीलीय अधिकारी

क्र०सं०	नाम	पदनाम	एस०टी०डी० कोड	दूरभाष		फैक्स	ई०मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	डॉ० राघव लंगर	अपर परियोजना निदेशक (रुसा)	0135	2651822	—	0135-2658902	rusa.he.2013@gmail.com	राज्य परियोजना निदेशालय-रुसा 21/20 ई०सी० रोड (मंदिर वाली गली) देहरादून।

2. लोक सूचना अधिकारी

क्र० सं०	नाम	पदनाम	एस०टी०डी० कोड	दूरभाष		फैक्स	ई०मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	डॉ० हर्षवन्ती बिष्ट	नोडल अधिकारी (रुसा)	0135	2658902	—	0135-2658902	rusa.he.2013@gmail.com	राज्य परियोजना निदेशालय-रुसा 21/20 ई०सी० रोड (मंदिर वाली गली) देहरादून।

2. सहायक लोक सूचना अधिकारी

क्र० सं०	नाम	पदनाम	एस०टी०डी० कोड	दूरभाष		फैक्स	ई०मेल	पता
				कार्यालय	आवास			
1.	श्री उमेश चन्द्र डिमरी	प्रशासनिक अधिकारी	0135	2658902	—	0135-2658902	rusa.he.2013@gmail.com	राज्य परियोजना निदेशालय-रुसा 21/20 ई०सी० रोड (मंदिर वाली गली) देहरादून।

मैनुअल संख्या – 17 अन्य उपयोगी जानकारियां :

(1) सूचना का अनुरोध पत्र कैसे प्रेषित करें :

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध पत्र निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ लोक सूचना अधिकारी अथवा सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा। बी0पी0एल0 श्रेणी के आवेदनकर्ता द्वारा कोई आवेदन शुल्क देय नहीं होगा परन्तु इस हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्ति को आवेदनकर्ता द्वारा स्वयं सत्यापित बी0पी0एल0 कार्ड की प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी होगी।

सूचना के लिए अनुरोध ऐसी सूचना के लिए किया जा सकेगा, जो अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (च) के अधीन 'सूचना' परिभाषित है और लोक प्राधिकारी की अभिरक्षा या नियंत्रण में है। सूचना की प्राप्ति हेतु आवेदन हिन्दी भाषा देवनागरी लिपि में या अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) परियोजना निदेशालय में सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों पर अपनायी जाने वाली प्रक्रिया :-

सूचना हेतु अनुरोध पत्रों के लिए परियोजना निदेशालय के कार्यालय में एक रजिस्टर रखा जायेगा, जिसमें आवेदन पत्र प्राप्ति का दिनांक, आवेदक का नाम/ पता, प्राप्त शुल्क का विवरण, मांगी गई सूचना का सूक्ष्म विवरण, सम्बन्धित पटल को किस दिनांक को भेजा गया, आवेदक को शुल्क आदि के सम्बन्ध में सूचित करने की दिनांक, आवेदन की सूचना उपलब्ध कराने की दिनांक आदि कालम रखे जायेंगे। सूचना का अधिकार के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों को अनिवार्य रूप से इस रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

यदि आवेदन पत्र में मांगी गई सूचना का सम्बन्ध किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से सम्बन्धित हो या ऐसी सूचना किसी अन्य लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध हो तो ऐसी दशा में उस आवेदन पत्र को दूसरे लोक प्राधिकारी, जिससे सम्बन्धित सूचना हो, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार हस्तान्तरण किया जायेगा और इसकी सूचना शीघ्र आवेदनकर्ता को भी भेज दी जायेगी।

प्राप्त आवेदन पत्र को रजिस्टर में दर्ज करने के उपरान्त कार्यालय द्वारा उस पर 'सूचना का अधिकार अधिनियम' एवं 'सूचना देने की अंतिम तिथि' अंकित किया जायेगा। जो आवेदन पत्र परियोजना कार्यालय से सम्बन्धित हो उन्हें अविलम्ब एक पंजिका में पृष्ठांकन के साथ सम्बन्धित पटल/अनुभाग को भेजा जायेगा।

प्राप्त आवेदन पत्रों को परीक्षणोपरान्त जो मांगी गयी सूचनायें, 'रुसा' निदेशालय कार्यालय में उपलब्ध हो तो उन्हें नियमानुसार लोक सूचना अधिकारी के हस्ताक्षर से आवेदक को निर्धारित 30 दिन की समय सीमा से पूर्व उपलब्ध करा दी जायेगी। अभ्यर्थी की उपलब्ध करायी गई सूचना में यह भी उल्लेख होगा कि यदि आप उपलब्ध करायी गई सूचना से सन्तुष्ट नहीं हैं तो आप निदेशालय में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं। पत्र में अपीलीय अधिकारी का नाम, पदनाम, कार्यालय का पता, दूरभाष संख्या आदि का विवरण भी दिया जायेगा। आवेदक को प्रेषित सूचना का दिनांक व विवरण रजिस्टर में भी अंकित किया जायेगा।

आवेदनकर्ता को सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में फीस का ब्यौरा देते हुए उससे उस शुल्क को जमा करने का अनुरोध करते हुए संसूचना भेजी जायेगी। उक्त सूचना प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को निर्दिष्ट 30 दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जायेगा। सामान्यतः आवेदक को यू0पी0सी0 द्वारा सूचना भेजी जायेगी किन्तु यदि आवेदक ने रजिस्ट्री डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजने हेतु शुल्क जमा किया है तो तदनुसार रजिस्ट्री डाक/स्पीड पोस्ट से सूचना भेजी जायेगी।

(3) सूचना के लिए निर्धारित शुल्क

- (अ) अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन सूचना हेतु आवेदन पत्र के साथ लोक सूचना अधिकारी के नाम से देय रु 10.00 मात्र का शुल्क उचित रसीद की प्रति, नकद या डिमाण्ड ड्राफ्ट, बैंक चैक, भारतीय पोस्टल आर्डर, ट्रेजरी चालान या नान ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर के माध्यम से संदाय किया जा सकेगा।
- (ब) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (3) के अधीन सूचना की लागत के रूप में बी0पी0एल0 श्रेणी के नागरिकों के अतिरिक्त अन्य नागरिकों द्वारा उक्त विधि से निम्न दरों के अनुरूप अतिरिक्त शुल्क संदाय किया जा सकेगा :-
- (एक) A-3 या A-4 आकार के पृष्ठ हेतु रु 2.00 (दो रुपये मात्र) प्रति पृष्ठ और इससे बड़े आकार के पृष्ठों हेतु वास्तविक लागत।
- (दो) अभिलेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम घंटे हेतु कोई शुल्क संदेय नहीं होगा। तदोपरान्त प्रत्येक एक घण्टे अथवा उसके भाग के लिए रु 5/= मात्र (पांच रुपये मात्र) का शुल्क देय होगा।
- (तीन) मॉडल एवं नमूनों की प्रतियों के लिए वास्तविक लागत का भुगतान किया जायेगा।
- (चार) सी0डी0/डी0वी0डी0 पर सूचना दिये जाने हेतु रु 20/= मात्र (बीस रुपये मात्र) प्रति सी0डी0 या डी0वी0डी0।

(पांच) किसी मुद्रित प्रकाशन की दशा में उसका निर्धारित मूल्य या ऐसे प्रकाशन से उद्धरणों की फोटो की प्रति पृष्ठ के लिए रू0 2= मात्र (दो रुपये मात्र)।

(स) बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्तियों के सूचना अनुरोध पर शुल्क हेतु निम्न व्यवस्था होगी :-

(एक) यदि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उसके (बी0पी0एल0 श्रेणी के) स्वयं से या उसके परिवार से सम्बन्धित हो तो वह सूचना निःशुल्क दी जायेगी।

(दो) यदि सूचना बी0पी0एल0 श्रेणी के अनुरोधकर्ता या उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति से सम्बन्धित हो और सूचना 50 छाया पृष्ठों (A-4 साइज के) या तैयार करने में रुपये 100/= के व्यय में दी जा सकती है, तो वह सूचना निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। आवेदित सूचना इस सीमा से अधिक होने पर बी0पी0एल0 श्रेणी के व्यक्ति को स्वयं के खर्चे पर अभिलेखों के निरीक्षण करने, टिप्पणियां लेने या छायाप्रति प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकेगी।

(4) सूचना के लिए अपील की प्रक्रिया :

अधिनियम की धारा 19 के अधीन लोक सूचना अधिकारी के निस्तारण के विरुद्ध अपील किये जाने पर अपीलकर्ता को अपील पत्र के साथ अनुरोध पत्र, लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोध पत्र के निस्तारण के पत्र की प्रति संलग्न करनी होगी। अपील पत्र में अपील के आधार स्पष्ट रूप से लिखे जायेंगे। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जो अपीलें प्राप्त होती हैं उसके लिए कार्यालय में एक पंजिका अलग से रखी जायेगी जिसमें समस्त विवरण अंकित करते हुए सीधे अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी जिस पर अपीलीय अधिकारी सुनवाई/विचार हेतु कोई तिथि नियत करेंगे तथा सम्बन्धित अनुभाग/पटल से कोई सूचना/संदर्भ अथवा पत्रावली प्रस्तुत करने हेतु आदेश करेंगे। अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई/विचारोपरान्त अपील पर निर्णय/आदेश पारित किया जायेगा। अपील के निस्तारण की प्रविष्टि अपीलीय पंजिका में की जायेगी तथा पारित आदेश की प्रति अथवा सूक्ष्म विवरण कार्यालय पत्रावली में सुरक्षित रखा जायेगा।